Australian Government
Aged Care Quality and Safety Commission

Engage
Empower
Safeguard

आपको गुणवत्तापूर्वक और सुरक्षित वयोवृद्ध देखभाल का अधिकार प्राप्त है

नया वयोवृद्ध देखभाल अधिनियम (एजेड केयर एक्ट) वृद्धजनों के अधिकारों को सबसे आगे रखता है। इसमें वृद्धजनों के अधिकारों के लिए अधिकार कथन (Statement of Rights) शामिल है। ये परिवर्तन 1 नवंबर 2025 से किए गए हैं।

अधिकार कथन यह सुनिश्चित करता है कि आपको आपकी वयोवृद्ध देखभाल के केन्द्र में रखा जाए। यह आपको आपकी संस्कृति एवं पहचान के साथ सम्मानपूर्वक व्यवहार किए जाने और अपने समुदाय से जुड़े रहने का अधिकार देता है।

आपको सुरक्षित एवं सम्मानित महसूस करने, और आपकी देखभाल करने वाले लोगों द्वारा गरिमापूर्ण और सम्मानजनक व्यवहार किए जाने का अधिकार प्राप्त है।

इसमें ऐसी फंड (धन-राशि) प्राप्त वयोवृद्ध देखभाल सेवाएँ प्राप्त करने का अधिकार शामिल है, जहाँ:

- आपकी पहचान, संस्कृति एवं पृष्ठभूमि को महत्व और समर्थन मिलता है
- आपको हुए सदमे सहित आपके अनुभव का सम्मान किया जाता है
- ये सेवाएँ सुलभ हों और आपकी आवश्यकताओं को पूरा करती हों
- हिंसा, दुर्व्यवहार और उपेक्षा से मुक्त हों।

अधिकार कथन के बारे में
और अधिक जानकारी
हमारी वेबसाइट से प्राप्त करें

यह कैसे सुनिश्चित करें कि आपके अधिकार सुरक्षित रहें

आपके प्रदाता को अधिकार कथन (Statement of Rights) को जानने और उसका अनुपालन करने की आवश्यकता है। यदि वे ऐसा नहीं करते हैं, तो आप उनसे अपनी चिंता या शिकायत कर सकते/ती हैं। आमतौर पर यह चीज़ों के समाधान का सबसे आसान और तेज़ ढंग होता है।

आप शिकायत आयुक्त (Complaints Commissioner) के समक्ष अपनी चिंता या शिकायत कर सकते/ती हैं:

- **1800 951 822** सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे के बीच।
- Aged Care Quality and Safety Commission, GPO Box 9819, आपकी राजधानी में
- ऑनलाइन www.agedcarequality.gov.au पर
- info@agedcarequality.gov.au

यदि आपको दुभाषिए की आवश्यकता है, तो हमें **1800 951 822** पर फ़ोन करें और हमें दुभाषिए की व्यवस्था करने के लिए कहें। आप Translating and Interpreting Service (अनुवाद एवं दुभाषिया सेवा) (TIS) को **131 450** पर भी फ़ोन कर सकते/ती हैं और उनसे कहें कि वे आपके लिए हमें फ़ोन करें।

यदि आपको शिकायत करने या जानकारी ढूंढने में सहायता की आवश्यकता है, तो नि:शुल्क, स्वतंत्र एवं गोपनीय सहायता के लिए वृद्ध व्यक्ति पक्षसमर्थन संपर्क (Older Persons Advocacy Network, OPAN) से संपर्क करें। वयोवृद्ध देखभाल पक्षसमर्थक लाइन (Aged Care Advocacy Line) को **1800 700 600** पर फ़ोन करें।